उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
इन्दिरा भवन, 14- अशोक मार्ग
लखनऊ-226001.

संख्या : 2305-पेन्शन-31/राविपरि0/95/461पी/89 दिनांक: अक्टूबर 27, 1995

कार्यालय-ज्ञापन

यत: विद्युत परिषद का गठन हो जाने के बाद दिनांक 1-4-1959 को और उसके बाद विद्युत परिषद के कई श्रेणी के पदो पर जब-जब सीधी भर्ती अथवा अन्य माध्यमों द्वारा नियुक्तियाँ की जाती रही हैं, ऐसी नियुक्तियों के माध्यम से भर्ती किये गये कार्मिकों में कई एक अधिकारी/ कर्मचारी ऐसे हैं, जो विद्युत परिषद के पदों पर सेवा में आने से पूर्व भारत सरकार/राज्य सरकारों अथवा उनके नियंत्रण में अन्य सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों आदि में सेवारत रहे है जो निम्नलिखित वर्गों में से किसी एक वर्ग के है और जो परिषद की सेवा में आने से पूर्व भारत /राज्य सरकारों अथवा उनसे नियंत्रित सार्वजनिक निगमों /उपकमों के अधीन की गई अपनी सेवाओं को पेन्शनरी लाभ के लिए आगणित करने को अनुरोध करते रहे हैं :-

1क. कोटि नं0 -1 के कार्मिक : जो कार्मिक केन्द्रीय/राज्य सरकारों अथवा उनसे नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम/निगमों आदि से छटनी किये जाने के दिनांक की तारीख तथा नई नियुक्ति की तारीख के बीच व्यवधान अथवा बिना व्यवधान के विद्युत परिषद के अधीन स्वेच्छा से नौकरी प्राप्त कर लिये ।

1ख. कोटि नं0 2 के कार्मिक : जो कार्मिक केन्द्रीय/राज्य सरकारों अथवा उनसे नियंत्रित सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों में अस्थायी पदो पर कार्य करते हुए उचित माध्यम से संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी की उचित अनुमति ले विद्युत परिषद के अधीन पदों के लिए आवेदित करके विद्युत परिषद की सेवा में आये हैं ।

1ग. कोटि नं0 -3 के कार्मिक : वे कार्मिक जिन्होंने केन्द्रीय/राज्य सरकारों अथवा उनसे नियंत्रित सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के अस्थायी पदों पर कार्य करते हुए संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी की उचित अनुमति के बिना सीधे विद्युत परिषद के अधीन पदों के लिए आवेदित किया और परिषद के अधीन नई नियुक्तियों का कार्य ग्रहण के लिए अपने पिछले पदो से त्याग पत्र दे दिया ।

2- अत: परिषद ने उपर्युक्त प्रकरण पर विचार करने के उपरान्त शासन की सहमति से निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :-

1) राज्य सरकारों या उनके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अधीन अस्थायी पेन्शनरी पदो पर कार्य करते हुए उचित माध्यम

=2=

से संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी की उचित अनुमति से बिना सेवा में
व्यवधान के उपर्युक्त कोटि नं0 2 के जो कार्मिक विद्युत परिषद की सेवा
में आये हों, उन्हें उनकी भारत सरकार/राज्य सरकारों अथवा उनके
नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में की गई अपनी पिछली सेवा का
लाभ पेन्शन को कार्यकारी सेवा में दिये जाने । गणना किये जाने । की
अनुमति इस प्रतिबन्ध के अधीन दी जा सकती है कि उनके पैतृक विभाग/
संगठन अथवा स्वयं संबंधित कार्मिक द्वारा पेन्शनरी अंशदान का भुगतान
विद्युत परिषद को किया गया हो।

।2। उपर्युक्त प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर ।1। में दी गयी सुविधा उपर्युक्त कोटि
नं0 1 के कार्मिकों को भी ग्राह्य होगी और परिषद में कार्यभार ग्रहण करने
से पूर्व यदि उनकी सेवा में कोई व्यवधान है तो तत्संबंधी प्रतिबन्धों को
शिथिल कर दिया जाय।

।3। उपर्युक्त कोटि नं0 -3 के कार्मिक स्पष्टतः पेन्शन के लिए अपनी पिछली
सेवा की गणना कराने के हकदार नहीं होंगे।

3- उपर्युक्त कोटि नं0 2 के कार्मिको के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि इस कोटि
के किसी कार्मिक को परिषद की सेवा में नई नियुक्ति का कार्यभार ग्रहण करने से पहले
प्रशासनिक कारणों से अथवा तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए राज्य सरकार/
भारत सरकार अथवा उनसे नियंत्रित सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के अधीन उनके द्वारा
धारित अस्थायी पद से त्याग पत्र देना आवश्यक हो तो वहां त्याग पत्र स्वीकार करने
वाले प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र जारी करें कि ऐसा त्याग पत्र उचित
माध्यम /अनुमति से प्रशासनिक कारणों तथा /अथवा किसी तकनीकी आवश्यकता की पूर्ति
के लिए परिषद की सेवा में नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिया गया था। इस
प्रमाण पत्र का रिकार्ड में उचित प्रमाणीकरण के अधीन उसकी सेवा पंजी ।पुस्तिका। में भी
किया जायगा। ताकि सेवानिवृत के समय उक्त सुविधा दिये जाने में कठिनाई न हो।

<u>अपवाद</u>: यदि किसी कार्मिक ने वाह्य अभ्यर्थी के रूप में राज्य सरकार/भारत सरकार
अथवा उनसे नियंत्रित किसी सार्वजनिक निगम/उपक्रम/के किसी पद के लिए
आवेदन करने के साथ साथ परिषद की सेवा में भी किसी एक पद के लिए आवेदित
किया हो और परिषद की सेवा में आने से पहले ही ऐसे कार्मिक को राज्य/
भारत सरकार अथवा उनके नियंत्रित सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों में आवेदित
पद पर नियुक्ति मिल जाती है किन्तु बाद में परिषद की सेवा में आवेदित
पद पर भी उसकी नियुक्ति हो जाती है और संबंधित कार्मिक के लिखित
अनुरोध पर उसको परिषद की सेवा में आवेदित नई नियुक्ति पद पर कार्यभार
ग्रहण करने को राज्य/भारत सरकार अथवा उनके नियंत्रित सार्वजनिक निगमों/
उपक्रमों का संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी अवमुक्त कर देता है तो ऐसे कार्मिकों
को भी भारत/राज्य सरकार अथवा उनके नियंत्रित सार्वजनिक निगम/उपक्रम
में की गई अपनी पिछली सेवा का [illegible] उपर्युक्त कोटि नं0 2 के कार्मिकों की
भांति पेन्शन को कार्यकारी [illegible] गणना किया जाना। की अनुमति
दी जा सकती है। [illegible]

4- उपर्युक्त कोटि नं0 1 और कोटि नं0 2 के कार्मिको को राज्य सरकारों/भारत सरकार अथवा उनके नियंत्रण वाले निगमों/उपक्रमों के अधीन उनकी सेवा की सक्रिय अवधि के दौरान भुगतान योग्य पेन्शनरी अंशदान की मासिक दरें वित्त नियमावली खण्ड-दो भाग-2-4 के मूल नियम 116 के अनुसार समय-समय पर लागू दरो के समरूप होगी । दिनांक 31-10-1982 तक और उसके बाद दिनांक 1-11-82 से लागू दरों का पूर्ण विवरण इस पत्र के साथ अलग से परिशिष्ठ "क" में सुगम, सन्दर्भ हेतु संलग्न हैं ।

5- उपर्युक्त व्यवस्था दिनांक 31-3-1982 को और उसके बाद सेवानिवृत होने वाले उपर्युक्त कोटि नं0 1 और कोटि नं0 2 के कार्मिकों की ऊपर लागू मानी जायेगी ।

परिषद की आज्ञा से,

संलग्नक : <u>यथापरोक्त</u>

सचिव

======

संख्या : 2305। ।। पेन्शन-31/रा0वि0प0/95 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :- उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद,

1- समस्त मुख्य अभियन्ता/स्तर-1, 11,
2- समस्त महा प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद,
3- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
4- अध्यक्ष, जांच समिति, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ ।
5- मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ ।
6- अपर सचिव। प्रथम/द्वितीय/तृतीय ।, शक्ति भवन, लखनऊ ।
7- अनु सचिव। का0वि0नी0 । शक्ति भवन, लखनऊ ।
8- समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद,
9- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद,
10- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद,
11- परिषद मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ ।
12- बैठक सहायक । परिषद की बैठक दिनांक 13-10-1995 के मद संख्या पन्द्रह । 287/95 ।
13- अध्यक्ष, विद्युत पेन्शनर्स परिषद, 10/12 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(signature)

। आर0पी0 सिन्हा ।
अपर सचिव

11.10.95

परिपत्र संख्या 2305 -पेन्शन-31/रा0वि0प0/95/46।पी/89, दिनांक 27-
अक्टूबर 27, 1995 -का संलग्नक

परिशिष्ठ ।क।

सक्रिय केन्द्रीय/राज्य सरकारी सेवा अथवा उनसे नियंत्रित सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों की सेवा अवधि पर भुगतान की जाने वाली पेन्शनरी अंशदान की मासिक दरें वही होगी जो दरे वित्त नियमावली हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2.4 के मूल नियम 116 के अनुसार दिनांक 31-10-1982 तक प्रभावी रही है और उसके बाद जो दरे शासनादेश संख्या जी-1-908/दस-84-534।101 82 दिनांक 6 जून 1984 के द्वारा यथा संशोधित शासनादेश संख्या जी-1-2700/दस-534।101 82, दिनांक 15 दिसम्बर 1982 के द्वारा दिनांक 1-11-1982 से लागू की गई है, जिसका पूर्ण विवरण सुगम संदर्भ हेतु नीचे प्रस्तुत हैं :-

सेवा की अवधि वर्षों में	समूह "क" के कर्मचारी प्रथम वर्ग के सदस्य	समूह "ख" के कर्मचारी द्वितीय वर्ग के सदस्य	समूह "ग" के कर्मचारी तृतीय वर्ग के सदस्य	समूह "घ" के कर्मचारी चतुर्थ वर्ग के सदस्य
1	2	3	4	5
।क। दिनांक 31-10-1982 तक लागू दरें				
0-1	रू0 63	स्थायी/स्थानापन ग्रेड में पद के अधिकतम मासिक वेतन का 5 प्रतिशत ।प्रतिशत।	स्थायी/स्थानापन ग्रेड में पद के अधिकतम मासिक वेतन का 4 प्रतिशत ।प्रतिशत।	स्थायी/स्थानापन ग्रेड में पद के अधिकतम मासिक वेतन का 4 प्रतिशत ।प्रतिशत।
1-2	70	5	4	4
2-3	78	5	5	5
3-4	86	6	5	5
4-5	94	6	5	5
5-6	102	7	6	6
6-7	110	7	6	6
7-8	117	8	7	7
8-9	125	8	7	7
9-10	133	9	7	7
10-11	141	9	8	8
11-12	149	10	8	8

=2=

1	2	3	4	5
	रू0	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
12-13	157	10	9	9
13-14	164	10	9	9
14-15	172	11	9	9
15-16	180	11	10	20
16-17	188	12	10	10
17-18	196	12	11	11
18-19	204	13	11	11
19-20	211	13	11	11
20-21	219	14	12	12
21-22	227	14	12	12
22-23	235	15	12	12
23-24	243	15	13	13
24-25	251	15	13	13
25-26	258	16	14	14
26-27	266	16	14	14
27-28	274	17	14	14
28-29	282	17	15	15
29 से ऊपर	290	18	15	15

(ख) दिनांक 1-11-1982 से लागू दरें

0-1	स्थायी/स्थानापन ग्रेड में पद के अधिकतम मासिक वेतन का 7 प्रतिशत	स्थायी/स्थानापन ग्रेड में पद के अधिकतम मासिक वेतन का 6 प्रतिशत	स्थायी/स्थानापन ग्रेड में पद के अधिकतम मासिक वेतन का 5 प्रतिशत	स्थायी/ स्थानापन ग्रेड में पद के अधिकतम मासिक वेतन का 4 प्रतिशत
1	2	3	4	5
1-2	7प्रतिशत	6प्रतिशत	6प्रतिशत	4 प्रतिशत
2-3	0 "	7 "	6 "	5 "

=3=

1	2	3	4	5
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
3-4	8	7	7	5
4-5	9	8	7	5
5-6	10	8	7	6
6-7	10	9	8	6
7-8	11	9	8	6
8-9	11	10	9	7
9-10	12	10	9	7
10-11	13	11	10	7
11-12	13	11	10	8
12-13	14	12	10	8
13-14	14	12	11	8
14-15	15	13	11	9
15-16	15	13	12	9
16-17	16	14	12	9
17-18	16	14	13	10
18-19	17	15	13	10
19-20	17	15	13	10
20-21	18	16	14	11
21-22	19	16	14	11
22-23	19	17	15	11
23-24	20	17	15	12
24-25	20	17	16	12
25-26	21	18	16	12
26-27	21	18	16	13
27-28	22	19	17	13
28-29	23	19	17	13
29-30	23	20	18	13
30 वर्ष से अधिक	23	20	18	14

पेन्शन के अन्तर्गत ऐसे अंशदान भी, यदि हो, सम्मिलित है, जो भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अथवा उनसे नियंत्रित निगमों, उपक्रमों, आदि द्वारा किसी सरकारी/निगम,/उपक्रम/ कर्मचारी के भविष्य निर्वाह निधि में जमा करने पड़ते हों ।

टिप्पणी -1

"सेवा की अवधि" के अर्थ है उस तिथि से प्रारम्भ होने वाला कुल अवधि, जिस तिथि से पेन्शन के लिए गिनी जाने वाली सेवा प्रारम्भ हुई हो, जिसमें असैनिक सेवा विनियमों (सी0एस0आर0) के अनुच्छेद 370 और 371 के अन्तर्गत पेन्शन के लिए गिनी जाने वाली सेवा भी सम्मिलित है । असैनिक सेवा विनियमों (सी0एस0आर0) में अनुच्छेद 403 तथा 405-ए में उल्लिखित सरकारी कर्मचारियों के मामले में पेन्शन के वास्ते सरकारी सेवा के अंशदान की दर को निश्चित करने के लिए उसकी अवधि को भी हिसाब में लिया जायेगा जिसे वे उन अनुच्छेदों के अन्तर्गत अपनी अतिवयता पेन्शन के लिए अर्ह सेवा में जोड़ने के अधिकारी हैं ।

टिप्पणी-2

अस्थायी सेवा के मामले में शब्द "सेवा की अवधि" के अर्थ है:- संबंधित सरकारी/निगम/उपक्रम, कर्मचारी की सम्पूर्ण निरन्तर सेवा जिसमें पेन्शन योग्य पद पर की गयी या पूर्ण रूप से अस्थायी अधिष्ठान में की गई अस्थायी सेवा भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-3

शब्द "सक्रिय सरकारी/निगम/उपक्रम /सेवा" में उस कार्यभार ग्रहण काल की अवधि को भी सम्मिलित करने का अभिप्राय है जो सरकारी/निगम/उपक्रम/कर्मचारी को परिषद की सेवा में जाने के अवसर पर दिया जाय । तदनुसार ऐसी अवधियों के लिए भी पेन्शन का अंशदान लिया जायेगा ।

(हस्ताक्षर)
(राम सिंह नेगी)
वैयक्तिक सहायक(एम)